न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री हीरालाल मीना, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 303/2018

वादी :– प्रेमप्रकाश मेघवाल पुत्र श्री रामकुंवार, जाति मेघवाल, निवासी लाई, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामकुंवार पुत्र श्री भोलाराम
2. सुशीला पुत्री श्री रामकुंवार
3. सरोज पुत्री श्री रामकुंवार

सभी जाति मेघवंशी, निवासीगण लाई

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

**दावा घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

निर्णय दिनांक :–30.07.2018

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बाबत घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिन्दू है तथा हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से गवर्न होते है। प्रतिवादी संख्या 1, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता है। ग्राम लाई की सरहद में खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 1.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 352 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/863 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216/940 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215/941 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1214/942 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल रकबा 7.77 हैक्टेयर स्थित है। जो पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिन्हे आगे विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरान से संबोधित किया गया है। वादी व प्रतिवादीगण ने गत अक्षय तृतीया को विवादित खसरान का बंटवाड़ा मौखिक रूप से करके अलग–अलग कब्जा करवा दिया है। बंटवाड़ा अर्जीदावा के पैरा संख्या 3 में वर्णितानुसार है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बंट में नगदी इत्यादि रख देने से खातेदारी भूमि में उन्होने अपना हक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में छोड़ दिया तथा अपने बंट में कोई भूमि नही रखी। उपरोक्त बंटानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर विवादित खसरान की खातेदारी अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम स्टेण्ड होने से वादी को अपूर्णीय क्षति हो रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज खातेदारी का प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाने पर आमादा है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाने हेतु वाद पेश है। दिनांक 07.06.2018 को वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को विवादित खसरान का बंटवाड़ा उपरोक्त अनुसार करने व वादीगण को बंट की भूमि की खातेदारी वादी के नाम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 इंकार हो गया और एलानियां धमकी दी कि विवादित खसरान को प्रतिवादी संख्या 1 अन्तरण करेगा या रहन रखकर ऋण प्राप्त करेगा। जिससे वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। सो दावा पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार है इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 9 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा लाई की जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073, खाता संख्या 168, आधार कार्ड प्रेमप्रकाश की फोटो प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन तारीख पेशी 30.07.2018 को तामील सुदा प्राप्त, आवाज लगायी गई अनुपस्थित रहने से आज दिनांक 30.07.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

## आदेश

6.(1) **वादी के बंट में :–** मौजा लाई की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 314 रकबा 1.95 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

6.(2) **प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :–** मौजा लाई के खसरा नम्बर 352 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 627 रकबा 1.62 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1217/863 रकबा 1.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1216/940 रकबा 0.83 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1215/941

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1214/942 रकबा 0.15 हैक्टेयर भूमि बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपना हक तर्क किया है, अतः हक तर्क की स्टाम्प ड्यूटी तथा बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हीरालाल मीना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner